

- 154 संस्था के शैक्षिक एवं विद्यालय कार्यविधियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यविधियों का अनुसंधान कलाकारों तथा अन्य भलों से कम घेतकवान तथा अन्य भलों नहीं दिने जायेंगे ।
- 161 कार्यविधियों की तथा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाक्षरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यविधियों का अनुसंधान सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगी ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तय-तय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विधानसभा का रिजॉर्ड निर्धारित प्रश्न/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिस्थिति/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या धिक्कता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावनापरिसर प्रयोग पर जायत से निषेध जायेगा ।

भदोच,

। शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

प्रतिबंध एवं दिनांक सही

प्रतिबंधों में निम्नलिखित की सुपुत्रार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रश्न :-

- 1- राजा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- राज्यीय संयुक्त शिक्षा विभाग, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विभाग निदेशक, वागसत ।
- 4- निदेशक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उज्जैन, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, डौली वाइल्ड एकेडमी लखनऊ वागसत ।
- 6- गार्ड बुक ।

आदेश है,

। शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

प्रति,

श्री प्रकाश गुप्त,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

श्रीमान्,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदायकेन्द्र,  
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 02 अगस्त, 2004

विषय:- होती वाईल्ड रेकेडमी खेड़ा, बागसत को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

प्रति,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु यह सूचित किया जाता है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीक पट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में विद्या निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित होंगे और उनका 2000 वर्ग मीटर परस/बेसिक सि०प० द्वारा संवर्धित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए आवंटित रूप से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को प्राप्त नहीं किया जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/की शिक्षा फंड दि० उद्देश्य हेतु सर्टिफिकेट उच्च शिक्षा नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो तो परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त करने की तिथि से 2000 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राजस्व प्राप्त से प्राप्त अनुदान प्राप्त हो जायेगा ।